

email dt 4.12.2017

(58)

संख्या:-पी0सी0एच0-एच0सी0(10)4/2011-11-79335  
पंचायती राज विभाग, हिमाचल प्रदेश।

प्रेषक:-

निदेशक,  
पंचायती राज विभाग,  
हिमाचल प्रदेश, शिमला-9

प्रेषित:-

सचिव,  
जिला परिषद्, ऊना।

विषय:-

दिनांक शिमला 4 दिसम्बर, 2017  
जिला परिषद् काडर के नियमित पंचायत सचिवों के चिकित्सा  
बिलों की प्रतिपूर्ति हेतु राशि जारी करने बारे।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पत्र संख्या:-पीसीएन-ऊना  
-(बी)(4)65/2015-10686 दिनांक 17.11.2017 के सन्दर्भ में।

आपको सूचित किया जाता है कि प्रधान सचिव, पंचायती राज  
हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना दिनांक 27.09.2017 के अन्तर्गत जिला परिषद् काडर के  
अधीन कार्यरत जिन नियमित कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा का प्रावधान नहीं था, को  
यह सुविधा प्रदेश सरकार के कर्मचारियों की भान्ति प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

उपरोक्त के दृष्टिगत जिला परिषद् काडर के अधीन कार्यरत  
समस्त नियमित कर्मचारियों को देय चिकित्सा सुविधा इस विभाग द्वारा दिनांक 27.09.2017  
को जारी अधिसूचना की तिथि से देय होगी। अतः आप सम्बन्धित मामलों में यथानुसार  
कार्यवाही अमल में लाने की कृपा करें।

भवदीय,

अतिरिक्त निदेशक,  
पंचायती राज विभाग,  
हिमाचल प्रदेश, शिमला-9

पृ0संख्या:- पी0सी0एच0-एच0सी0(10)4/2011-11-79336-46 दिनांक 4.12.17  
प्रतिलिपि:-

समस्त सचिव, जिला परिषद् (सिवाये ऊना) हिमाचल प्रदेश को सूचनार्थ।

अतिरिक्त निदेशक,  
पंचायती राज विभाग,  
हिमाचल प्रदेश, शिमला-9